सं0 14034/30/2009-रा0भा0 (प्रशि0)

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

लोकनायक भवन, खान मार्केट,

नई दिल्ली, दिनांक 6 जनवरी, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए कार्मिकों के लिए हिंदी भाषा, हिंदी टंकण का प्रशिक्षण देने के संबंध में|

छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अध्याय 2.2.9 के अनुसार वर्ग "घ" कार्मिकों को वर्ग "ग" वेतन वर्ग में शामिल कर लिया गया है| चूंकि महामहिम राष्ट्रपति के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" कार्मिकों के लिए हिंदी भाषा और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण अनिवार्य है, अत: विभाग में इस मामले पर विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी भाषा और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाए|

2. प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कार्मिक अग्रिम वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे|

3. ये आदेश केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ एवं सम्बद्ध कार्यालयों/बैंकों/ निगमों/ निकायों आदि के सभी कार्मिकों पर लागू होंगे तथा कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे|

(विजय कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (प्रशि0)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय ज्ञापन की विषय वस्तु को अपने नियंत्रणाधीन सभी सरकारी उपक्रमों/बैंको/स्वायत्त संगठनों/निगमों आदि के ध्यान में लाएं|)
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. भारत के निर्वाचन आयोग का कार्यालय, नई दिल्ली ।
6. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
7. गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय ।
8. सभी संघ शासित क्षेत्र ।
9. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी एवं डेस्क/अनुभाग|
10. निदेशक, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 7वॉ तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
11. अतिरिक्त प्रतियां - (100)